न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1302–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–8–2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल 1, ईंटखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 119/अ–12/13–14.

1– प्रदीप दुबे आत्मज श्री राम दुबे
2– संजीब दुबे आत्मज श्री राम दुबे
निवासीगण पंचवटी कॉलोनी
एयरपोर्ट रोड, लालघाटी, भोपाल ....आवेदकगण

विरूद्ध

मुन्नालाल आत्मज श्री पन्नालाल
निवासी ग्राम लाऊखेड़ी कृषक ग्राम डोबरा
तहसील हुजूर जिला भोपाल ....अनावेदक

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी.एन. मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/9/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल 1, ईंटखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–8–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल 1, ईंटखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम डोबरा तहसील हुजूर स्थित सर्वे कमांक 199, 280 एवं 281 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 119/अ–12/13–14 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर दिनांक 20–8–2014 को सीमांकन आदेश पारित

किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन की कार्यवाही में आवेदकगण को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, और उनकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया जाकर अनावेदक की भूमि पर आवेदकगण का कब्जा बतलाया गया है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन की कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को भी किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि न तो सूचना पत्र में और न ही पंचनामा में आवेदकगण के हस्ताक्षर हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अवैध सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के अंतर्गत जारी कार्यवाही त्रुटिपूर्ण होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदकगण उपस्थित रहे हैं, और उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से माना किया गया है । यह भी कहा गया कि इस न्यायालय में निगरानी अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है, क्योंकि आवेदकगण द्वारा आयुक्त के समक्ष प्रकरण अंतरित करने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, अतः सीमांकन आदेश की जानकारी आवेदकगण को प्रारंभ से ही रही है । तर्क में यह भी कहा गया कि विधिवत टोटल मशीन से सीमांकन किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दो बार सीमांकन होने का कोई प्रमाण आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, और आवेदकगण की भूमि सड़क में चली गई है, जिसका मुआवजा उनके द्वारा प्राप्त किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को सूचना पत्र जारी किया गया है, परन्तु उन पर सूचना पत्र तामील नहीं हुआ है । सीमांकन पंचनामा को देखने से स्पष्ट है कि सीमांकन पंचनामा में भी आवेदकगण की उपस्थिति दर्ज नहीं है, स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण की अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि राजस्व निरीक्षक का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के

साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उभय पक्ष सहित सभी हितबद्ध व्यक्तियों सहित पड़ोसी कृषकों को विधिवत सूचना देकर उनकी उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक मण्डल 1, ईंटखेड़ी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–8–2014 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु राजस्व निरीक्षक को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर